**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा, जिला जोधपुर**

पीठासीन अधिकारीः— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या — 45 / 2020

**प्रार्थीगण** **बनाम** **अप्रार्थीगण**

01. बाबूलाल पुत्र मानाराम
02. रामलाल पुत्र मानाराम
03. शोभाराम पुत्र मानाराम
04. शांतिदेवी पुत्री मानाराम
05. फबुदेवी पुत्री मानाराम
06. माडी पत्नी मानाराम
    जातियान—विश्नोई
    निवासीगण—मतवालों की ढाणी
    बाला तहसील बिलाड़ा
    जिला —जोधपुर

01. भींयाराम पुत्र मानाराम
02. चुतराराम पुत्र मानाराम
03. सत्यप्रकाश पुत्र मानाराम
04. हमीरराम पुत्र मानाराम
05. भबूतराम पुत्र मानाराम
06. श्रीमती देवली पत्नी भबूतराम
07. मेकाराम पुत्र चौखाराम
08. रूघाराम पुत्र चौखाराम
09. मंगलाराम पुत्र चौखाराम
10. रामीदेवी पुत्री चौखाराम
11. श्रीमती जैती पुत्री देवाराम
    पत्नी मिश्रीलाल
12. श्रीमती परमा उर्फ परमेश्वरी
    पुत्री जयकिशन पत्नी श्रीराम
    सभी जातियान— विश्नोई
    निवासीगण— मतवालों की ढाणी
    बाला तहसील —बिलाड़ा
    जिला — जोधपुर
13. एस॰बी॰आई॰ शाखा बिलाड़ा
14. राजस्थान सरकार जरिये
    तहसीलदार बिलाड़ा
15. महीराम पुत्र भींयाराम
    जाति विश्नोई निवासी
    मतवालों की ढाणी बाला
    तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
16. सुनिल पुत्र भींयाराम
    जाति विश्नोई निवासी मतवालों
    की ढाणी बाला तहसील
    बिलाड़ा जिला जोधपुर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212(1) व (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट**

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**उपस्थितः**– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या–1 से 6, 12, 15, 16 की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई एडवोकेट,
अप्रार्थी संख्या–7 से 11, 13, के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही,
अप्रार्थी संख्या–14 की ओर से सरकारी पैरोकार

**आदेश** दिनांकः– 23/1/2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 53 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 43 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 247 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 183 बीघा 15 बिस्वा आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 5 व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 6 के पति मानाराम जी का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। उपरोक्त सजरा खानदान के अनुसार विवादग्रस्त भूमि पहले प्रार्थी संख्या 1 से 5 व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 6 के पति मानाराम जी की सयुक्त खातेदारी की थी। जिसमें मानाराम जी का 1/3 हिस्सा सयुक्त खातेदारी का है। सयुक्त खातेदार मानाराम के देहान्त के बाद उसके आठ पुत्र व तीन पुत्रिया व दो पत्नियॉ के नाम से 1/3 हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गयी। मानाराम जी की दो पत्नीयॉ माडीदेवी व सुखीदेवी है जिसमें से सुखीदेवी का देहान्त हो चुका है। मानाराम जी की 1/3 हिस्से की भूमि में उसकी दो पत्नीया माडीदेवी व सुखीदेवी का शामलाती रूप से एक हिस्सा रखा गया, जो हिस्सा 1/12 रेकर्ड में दर्ज किया गया था, उक्त शामलाती 1/12 वॉ हिस्से में से सुखीदेवी ने अपना सम्पूर्ण 1/24 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 श्रीमति देवली पत्नी भबूतराम को बैचान कर दिया, शेष खाता की 1/24 वॉ हिस्से की भूमि प्रार्थी संख्या 6 माडीदेवी की यथावत रही। इसी प्रकार मानाराम जी की पुत्री लीलादेवी ने अपना सम्पूर्ण 1/12 वॉ हिस्सा अप्रार्थी संख्या 6 देवली पत्नी भबूतराम को बैचान कर दिया,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

इस प्रकार मानाराम जी की 1/3 हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 6 का 1/24 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 5 का 1/12 वॉ हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/8 वॉ हिस्सा बनता है। इसके अलावा सम्पूर्ण खातेदारी भूमि में अप्रार्थी संख्या 7 से 10 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 11, 12 का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने की अधिकारी है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 से 12 इसके लिए तैयार नही हुये तो प्रार्थीगण अपने 1/12–1/12 वॉ हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 12 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 12 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा की है, जिसमें अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की दखल करने का अधिकार नही है फिर भी अप्रार्थीगण ने नाजायज तौर से कब्जा करने की नियत से सम्पूर्ण भूमि पर काश्त कार्य कर प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकारों एवं उसकी खातेदारी भूमि के उपयोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जेकाश्त की रक्षा के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण द्वारा बरसात के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

समय काश्त कार्य कर लेने पर अपूर्णनीय क्षति लगातार प्रार्थीगण को हो रही है एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि पर काश्त कार्य नही करने दिया जा रहा है। जिसके लिए प्रार्थी ने दावे के साथ धारा 212 (1) & (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जो राजस्व दावे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2018 को पेश किया, जो राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 32/2018 तारीख पेशी 12.03.2020 को स्वीकार किया एवं अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई वो विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, फिर भी अप्रार्थी ने जानबूझकर सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 247 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा में किसी प्रकार का बंटवाड़ा कराये टयूबवैल करवाना शुरू कर दिया है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिस पर टयूबवैल को खोद कर अकृषि में परिवर्तन करने का बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अप्रार्थी को कोई अधिकार नही है, फिर भी अप्रार्थी द्वारा नाजायज तौर से प्रार्थी की सयुक्त खातेदारी की भूमि के कृषि स्वरूप को नष्ट किया जा रहा है। अतः विवादग्रस्त भूमि के कृषि स्वरूप को कायम रखने के लिए तथा अप्रार्थी की नाजायज हरकतों को रोकने के लिए विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रेकर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में है तथा प्रार्थी काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थी के हक में है विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने से अप्रार्थी द्वारा नाजायज हरकतों पर प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर काश्त करीब 14 वर्ष से नही करने दी जा रही है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय हानि हो गयी है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है इस कारण प्रार्थीगण मौके पर अप्रार्थीगण से मुकाबला करने में समर्थ नही है तथा कानून के जरिये अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त कर न्यायालय की अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा ग्राम मतवालों की ढाणी बाला, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 53 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 43 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 247 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा 9 कुल रकबा 183 बीघा 15 बिस्वा रिसीवर नियुक्त करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 से 6, 12, 15, 16 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया, इस कारण अप्रार्थी संख्या–1 से 6, 12, 15, 16 का जवाब बंद किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है।

1. **प्रथम दृष्टया मामला:–** प्रकरण में अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है, जिस बाबत प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 53 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 247 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा कुल खसरा–9 कुल रकबा 183 बीघा 15 बिस्वा आयी हुयी है। उपरोक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थी संख्या–1 से 5 व अप्रार्थी संख्या–1 से 5 के पिता तथा प्रार्थी संख्या–6 के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पति मानारामजी का 1/3 हिस्सा है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। प्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार बंटवाड़ा कराने की अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन अप्रार्थीगण इसके लिए तैयार नही हुए तो यह बंटवाड़ा का दावा पेश करना पड़ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण का हक व अधिकार है तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण द्वारा बरसात के समय काश्त कार्य कर लेने पर अपूर्णनीय क्षति लगातार प्रार्थीगण को हो रही है। प्रार्थीगण को उसके हिस्से की भूमि पर काश्त कार्य को नही करने दिया जा रहा है जिसके लिए प्रार्थी ने दावे के साथ धारा–212 (1) व (2) राजस्थान टीनेंसी एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया, जो राजस्व दावे के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–32/2018 का पेश किया, जिसमें तारीख पेशी 12.03.2020 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया गया, फिर भी अप्रार्थी संख्या–1 ने जानबूझकर संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 247 में बीना बंटवाड़ा कराये ट्यूबवैल को खुदवा दिया, वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है तथा संयुक्त खातेदारी की है, अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा कृषि से अकृषि कार्य को किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 के नाजायज हरकत को रोकने के लिए विवादग्रस्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर करीब 14 वर्ष से अप्रार्थी सख्या–1 द्वारा काश्त कार्य को नही करने दिया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या–1 भींयाराम तथा उसके पुत्र झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है, इस कारण मौके पर प्रार्थीगण उनका मुकाबला नही कर सकते है; अतः कानून के जरिये प्रार्थीगण अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त कराना चाहते है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 से 6, 12, 15, 16 द्वारा बहस में बताया कि विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की है, इस कारण रिसीवर नियुक्त नही किया जा सकता है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना नही पाया जाता है

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, विद्वान अधिवक्तागण के विरोधाभाषी तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि पर अप्रार्थी संख्या–1 तथा उसके पुत्र महीराम, गंगाराम, सुनील द्वारा काश्त कार्य को नही करने दिया जा रहा है। प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार होने से भूमि पर काश्त कार्य करने का उनको पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा काश्त कार्य नही करने देने के कारण उसका तथा उसके परिवार का जीवन निर्वाह करना मुश्किल में पड़ गया है। प्रार्थीगण करीब खेती करने से 14 वर्ष वंचित हो गये है, इस कारण प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि हो रही है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा बीना बंटवाड़ा कराये भूमि पर ट्यूबवैल को खुदवाया गया है, जो बीना सहमति के चलते कार्य को किया गया है। अप्रार्थीगण बीना बंटवाड़ा कराये विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य भी नही कर सकते है तथा न ही ट्यूबवैल को खुदवा सकते है। विवादग्रस्त भूमि के कृषि स्वरूप को कायम रखने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत होता है। रिसीवर आदेश एक कठोरतम आदेश है। फिर भी विवादित आराजी संयुक्त खाते की अविभाजित भूमि होना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। इस कारण अगर भूमि पर पक्षकारान द्वारा कोई निर्माण कार्य कर लिया गया तो प्रार्थी का दावा करना ही निरर्थक हो जायेगा। जब तक संयुक्त खातेदारी भूमि का बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच की भूमि पर कब्जा व अधिकार माना जाता है। संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण रिसीवर नियुक्त करना उचित प्रतीत नही होता है, लेकिन बीना बंटवाड़ा करवाये मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य को रोका जा सकता है। इसलिए दावे के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है, अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

**सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षतिः–** विवादग्रस्त आराजी का प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि पर जबरन अप्रार्थीगण द्वारा काश्त कार्य कर लेने से अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित जाता हूं।

## आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा ग्राम मतवालों की ढाणी बाला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 4 रकबा 53 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 182 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 240 रकबा 43 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 241 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 242 रकबा 30 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 246 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 247 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा की भूमि पर अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 23/1/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर